[2018] 10 एस. सी. आर 876 ए

/

[2018] 10 एस सी आर।

/

अनिल कुमार

बनाम

शाखा प्रबंधक, राष्ट्रीय बीमा कंपनी

लिमिटेड. और ए. एन. आर.

(2016 की सिविल अपील संख्या 4398)

/

अगस्त 31,2018

[अभय मनोहर सप्रे और उदय उमेश ललित**,** जे**.** जे**.]**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:

/

धारा 173 – क्षतिपूर्ति-दावा-मोटर दुर्घटना-आंशिक और स्थायी विकलांगता का कारण-25 वर्षीय अविवाहित व्यक्ति को-न्यायाधिकरण ने रु। 3,43,000-मुआवजे के लिए-उच्च न्यायालय ने दावेदार की अपील को खारिज कर दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया:दावेदार मुआवजे की राशि में और वृद्धि के लिए एक मामला बनाने में सक्षम था-वह न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राशि के अलावा एकमुश्त राशि में रुपये की और राशि का हकदार है-हालांकि, रुपये की बढ़ी हुई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता है। 5,00,000-।

/

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

/

अभिनिर्धारित किया **:1.** अपीलार्थी न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे की मात्रा में और वृद्धि के लिए एक मामला बनाने में सक्षम था।अपीलार्थी **(**दावेदार**)** दुर्घटना के समय **25** वर्ष का एक युवा अविवाहित लड़का था और किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित नहीं था।उन्हें मूत्रमार्ग और पेट की चोटों के साथ दोनों श्रोणि हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया था**,** जिसके लिए

उन्होंने चार ऑपरेशन किए और उनके शरीर में आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा**,** जिससे उनकी गति क्षमता काफी हद तक कम हो गई।आंशिक लेकिन स्थायी अक्षमता के कारण उनकी नौकरी भी चली गई।उन्होंने अपने चिकित्सा उपचार के लिए एक बड़ी राशि खर्च की।चूँकि वह अभी भी विकलांग होने के कारण स्वतंत्र रूप से घूमने**-**फिरने में सक्षम नहीं था**,** इसलिए वह उसे मौद्रिक मुआवजा देकर उचित रूप से मुआवजा पाने का हकदार है।**[**पारस **11** और **12] [879-**सी**-**एफ**]**

/

/

2. अपीलार्थी न्यायाधिकरण द्वारा जो आदेश दिया गया है**,** उसके अतिरिक्त एकमुश्त रुपये की अतिरिक्त राशि का हकदार है।

/

876

877

अनिल कुमार बनाम ब्रांच मैनेजर, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर.

अर्थात**,** रु**. 3,43,000-**।इस प्रकार**,** अपीलार्थी **(**दावेदार**)** अब दुर्घटना में लगी चोटों**,** आंशिक और स्थायी अक्षमता**,** चिकित्सा खर्च और चोटों के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में उत्तरदाताओं से संयुक्त रूप से और अलग**-**अलग रूप से कुल **1** करोड़ रुपये का दावा करने का हकदार है।हालांकि**,** रुपये की बढ़ी हुई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता है।अपीलार्थी न्यायाधिकरण द्वारा प्रदत्त **8** प्रतिशत की दर से केवल रुपये की राशि पर ब्याज का दावा करने का हकदार है।प्रत्यर्थी संख्या **1 (**बीमा कंपनी**)** को दी गई राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है।**[**पारस **15,16,17** और **19] [880-**ए**-**सी**,** डी**]**

/

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2016 की सिविल अपील सं. 4398।

2011 (एम. वी.) के एम. एफ. ए. संख्या 24385 में धारवाड़ में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

सी. बी. गुरुराज, योगेंद्र कुमार वर्मा, प्रकाश रंजन नायक, सुश्री मंजीत चावला, मनु शालिया, अधिवक्ता।उपस्थित पक्षकारों के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

अभय मनोहर सप्रे, जे. 1.यह याचिका दायर की गई है

विभिन्न क्षेत्रों में धारवाड़ में कर्नाटक उच्च न्यायालय की पीठ द्वारा पारित अंतिम निर्णय और दिनांक 19.03.2015 आदेश के खिलाफ दावेदार।2011 की पहली अपील संख्या 24385 (एम. वी.) जिसके तहत उच्च न्यायालय ने दावेदार (इसमें अपीलकर्ता) द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और सदस्य, एम. ए. सी. टी.-II, बेल्लारी द्वारा 2010 के एम. वी. सी. No.711 में पारित निर्णय और पुरस्कार की पुष्टि की।

/

/

2. अपील में शामिल प्रश्न की सराहना करने के लिए नीचे कुछ प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

3. अपीलार्थी रेगन वाले लॉरी में सफाईकर्मी के रूप में काम कर रहा था।No.AP-21/V-4682 यहाँ प्रत्यर्थी संख्या 2 से संबंधित है।प्रासंगिक समय पर, इसका बीमाकरण प्रतिवादी संख्या 1 के साथ किया गया था।आई. डी. 1 को बेल्लारी के बेलगल रोड स्थित वी. जी. एम. फैक्ट्री के पास दोपहर करीब 1 बजे जब अपीलकर्ता लौह अयस्क लोड करने के उद्देश्य से उपर्युक्त लॉरी के सामने खड़ा था, तो लॉरी के चालक ने बिना कोई संकेत या हॉर्न दिए वाहन को आगे बढ़ाया और उसे टक्कर मार दी।जिसके परिणामस्वरूप, अपीलार्थी ने अपने पूरे शरीर में मूत्रमार्ग और पेट की चोटों और अन्य गंभीर चोटों के साथ दोनों श्रोणि हड्डियों को बनाए रखा।द.

/

/

878

/

[2018] 10 एस सी आर।

/

इसके बाद अपीलार्थी को चिकित्सा उपचार के लिए वी. आई. एम. एस. अस्पताल, बेल्लारी ले जाया गया।अपीलार्थी ने दावा किया कि उसने अपने चिकित्सा उपचार के लिए पर्याप्त राशि खर्च की है।अपीलार्थी द्वारा उपजी उपरोक्त चोटों के कारण, वह उस काम को करने के लिए स्थायी रूप से अक्षम हो गया है जो वह दुर्घटना से पहले कर रहा था।दुर्घटना के समय, अपीलार्थी की आयु 25 वर्ष थी और वह प्रति माह Rs.4000 कमाता था।

/

4. अपीलार्थी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत बेल्लारी में एम. ए. सी. टी.-II के समक्ष 2010 की एम. वी. सी. No.711 वाली दावा याचिका दायर की और प्रत्यर्थियों से मुआवजे का दावा किया।उत्तरदाताओं द्वारा इसका विरोध किया गया था।दिनांक 12.04.2011 के निर्णय द्वारा, न्यायाधिकरण ने आंशिक रूप से अपीलार्थी की दावा याचिका को अनुज्ञात कर लिया।यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी-दावेदार की मासिक आय Rs.4000 थी-कि दुर्घटना उल्लंघनकारी वाहन के चालक की एकमात्र लापरवाही के कारण हुई, कि अपीलार्थी को पूरे शरीर में 25 प्रतिशत की सीमा तक आंशिक लेकिन स्थायी अक्षमता थी और अपीलार्थी की आयु दुर्घटना की तारीख को 25 वर्ष थी।इसके बाद न्यायाधिकरण ने 18 का गुणक लागू किया और तदनुसार भविष्य की आय के नुकसान के लिए, दर्द और पीड़ा के लिए, 000/-, चिकित्सा खर्चों के लिए, 000/-, भविष्य के चिकित्सा खर्चों के लिए, 000/- और निर्धारित अवधि के दौरान आय के नुकसान के लिए, 000/- रुपये की राशि का आदेश दिया।जहाँ तक देयता का संबंध है, न्यायाधिकरण ने माना कि नीति व्यापक नीति के समतुल्य एक पैकेज नीति है, जिसमें सफाई का जोखिम भी शामिल है।

/

/

/

5. तदनुसार न्यायाधिकरण ने दावा याचिका की तारीख से उत्तरदाताओं के खिलाफ संयुक्त रूप से और अलग-अलग भुगतान तक 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से देय ब्याज के साथ कुल 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया।6. न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय से व्यथित होकर, अपीलार्थी-दावेदार ने उच्च न्यायालय के समक्ष मुआवजे को बढ़ाने के लिए 2011 (एम. वी.) का एम. एफ. ए. दायर किया।बीमा कंपनी (प्रतिवादी संख्या 1) ने भी व्यथित महसूस किया और न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय अपास्त करते हुए करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष 2011 का एम. एफ. ए. No.23729 (एम. वी.) दायर किया।

/

/

7. उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा दोनों अपीलों को खारिज कर दिया।

8. आक्षेपित आदेश से व्यथित, अपीलार्थी-दावेदार ने इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील दायर की है।जहाँ तक ए

/

बीमा कंपनी-प्रत्यर्थी संख्या 1 यहाँ संबंधित है, उन्होंने आक्षेपित आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की है।

9. इस अपील में विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या न्यायाधिकरण द्वारा अपीलार्थी (दावेदार) को दिए गए मुआवजे को और बढ़ाने के लिए तथ्यों/साक्ष्यों पर कोई मामला बनाया गया है।

/

10. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन पर, हम आंशिक रूप से अपील की अनुमति देने के लिए इच्छुक हैं और तदनुसार न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे को उस सीमा तक बढ़ाने के लिए इच्छुक हैं, जिस हद तक उल्लंघन का संकेत दिया गया है।

/

11. हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय ने दावेदार की अपील को खारिज करने में गलती की और इस प्रकार मुआवजे को और नहीं बढ़ाने में गलती की।दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ता न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे की मात्रा में और वृद्धि के लिए एक मामला बनाने में सक्षम था और इसलिए, वह नीचे उल्लिखित आधारों पर मुआवजे के पुरस्कार में वृद्धि का हकदार है।

/

12. पहला, अपीलार्थी (दावेदार) दुर्घटना के समय 25 वर्ष का एक युवा अविवाहित लड़का था और उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हुई थी; दूसरा, अपीलार्थी को मूत्रमार्ग और पेट की चोटों के साथ दोनों श्रोणि हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ था, जिसके लिए उसके शरीर में चार ऑपरेशन हुए और आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी चलने की क्षमता काफी हद तक कम हो गई; तीसरा, आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता के कारण अपीलार्थी ने अपनी नौकरी भी खो दी; चौथा, उसने अपने चिकित्सा उपचार के लिए पर्याप्त राशि खर्च की; और अंत में, चूंकि अपीलार्थी अभी भी उसके द्वारा पीड़ित अक्षमताओं के कारण स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम नहीं है, इसलिए वह उसे मौद्रिक मुआवजा देकर उचित रूप से मुआवजा देने का हकदार है।

/

/

13. प्रत्यर्थी (बीमा कंपनी) के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि मुआवजे में और वृद्धि के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है और इसलिए उच्च न्यायालय न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखने में उचित था।

/

14. हम हमारे द्वारा दिए गए उपर्युक्त कारणों के लिए प्रतिवादी No.1-Insurance कंपनी के विद्वान वकील द्वारा आग्रह किए गए निवेदन से सहमत नहीं हैं।

15. पूर्वगामी चर्चा और ऊपर उल्लिखित आधारों के आलोक में, जिन्हें न्यायाधिकरण ने स्वीकार कर लिया है, हम इनमें से हैं -

/

880

/

[2018] 10 एस सी आर।

इस राय पर विचार किया गया कि अपीलार्थी न्यायाधिकरण द्वारा जो आदेश दिया गया है, उसके अतिरिक्त एकमुश्त राशि यानी रु. 3,43,000-के लिए भी हकदार है।

16. दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी (दावेदार) अब दुर्घटना में लगी चोटों, आंशिक और स्थायी अक्षमता, चिकित्सा खर्च और चोटों के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में उत्तरदाताओं से संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से कुल रु. की राशि का दावा करने का हकदार है।

/

17. हालाँकि, हम अपीलार्थी को दी गई रुपये की बढ़ी हुई राशि पर ब्याज नहीं देते हैं।मामले के इस दृष्टिकोण में, अपीलार्थी केवल न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए 8 प्रतिशत की दर से रु. 3,43,000 की राशि पर ब्याज का दावा करने का हकदार है।

/

18. इस प्रकार अपील सफल होती है और तदनुसार अनुज्ञात जाती है।आक्षेपित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय को ऊपर बताए गए हद तक संशोधित किया जाता है।

/

19. प्रत्यर्थी संख्या 1 (बीमा कंपनी) को न्यायाधिकरण में तीन महीने के भीतर, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिनिर्णीत राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है ताकि दावेदार (अपीलार्थी) न्यायाधिकरण द्वारा उचित सत्यापन करने के बाद अधिनिर्णीत राशि को वापस ले सके।

/

कल्पना के. त्रिपाठी की अपील को अनुज्ञात गई।

/

/

/